सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 317/17 **निर्णय दिनांकः— 29.01.2018**

1. समीम खॉ पुत्र सादक खॉ जाति मुसलमान निवासी गांव थारूसर चक 650 आरडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।
2. रीडूराम पुत्र लाधाराम जाति मेघवाल निवासी गांव बोरूंदा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 04—10—2017
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः—

1. श्री विनोद नाथ, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री धन्ने सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 04—10—2017 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के को आवंटन किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को भूमिहीन के तहत रिमाण्ड प्रकरण में चक 650 आरडी के मुरब्बा नम्बर 233/53 की के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 13, 18 ता 20, 21/0.16, 22/0.16, 23/0.16, 24/0.16 की 18.04 बीघा भूमि अनकमाण्ड आवंटित की गई है। वादगत् भूमि अपीलांट के कब्जेशुदा भूमि है तथा उक्त रकबे की शेष भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। जिसके आवंटन का प्रथम अधिकारी अपीलांट है। उक्त भूमि मध्यमपेच आवंटन की भूमि थी तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र मिडियम पेच आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष जैरकार था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील के माध्यम से वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बतौर भूमिहीन किया गया है। जबकि उक्त भूमि भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत अपीलांटा को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना नोटिस दिये, अपीलांट का प्रार्थना पत्र पैंडिग रहते हुए गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उपरोक्त रकबा आवंटन कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा बतौर भूमिहीन के तहत पूर्व में आंवटित रकबा अन्य को आवंटनशुदा होने के कारण अन्य भूमि बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटन की जानी थी। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही मिडियम पेच के आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है जो विधि एवं आवंटन नियमों के विरूद्व है। आवंटन नियमों के स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि मिडियम पेच अथवा स्माल पेच के आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि का आवंटन भूमिहीन के तहत आवंटन नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा आवेदित भूमि अन्यत्र आवंटन को आवंटन होने के कारण उक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने से विकल्प में उपरोक्त रकबा गैर कानूनी रूप से आवंटित किया गया

जो पूर्णतया गलत व विधि विरूद्व आवंटन किया गया है। अदालत मातहत को आराजी जैर के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी उक्त आराजी के आवंटन हेतु अन्य किसी काश्तकार का कोई आवेदन तो पैंडिंग नहीं है। उक्त रकबे हेतु अपीलांट की प्रथम वरीयता बनती है। अदालत मातहत द्वारा जानबूझ कर नियमों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विकल्प में उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

आराजी जैर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बिना वरियता के किया गया है। अदालत मातहत की तमाम कार्यवाही सुनियोजित तरीके से आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटन किये जाने की नियत से की गई है। अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड व उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों का अवलोकन किये मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को लाभ पहुॅचाने की की गरज से सरासर एकतरफा तौर समस्त कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरडी 1984 पेज 617, आरआरडी 1993 पेज 760, आरएलडब्ल्यू 2006 पार्ट I पेज 87, आरआरडी 1987 पेज 54, आरआरडी 1989 पेज 224, आरबीजे 2003 पेज 35 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि उसे वर्ष 1976 में सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा भूमिहीन श्रेणी में चक 2 एमडीएम के मुरब्बा नम्बर 184/54, 189/62 में 17 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। चूंकि उक्त भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित होने के कारण रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि के बदले चक 2 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 67/61, 62 की 43 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गई। उक्त भूमि भी पूर्व में अन्य को आवंटित होने के कारण रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट को दिनांक 16–02–1982 को उक्त भूमि की एवज में चक 660–500 आरडी के मुरब्बा

नम्बर 235/2 की 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गई। उक्त भूमि भी विशेष आवंटन के गजट में प्रकाशित होने के कारण रेस्पोडेन्ट को कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपील स्वीकार करते हुए उक्त भूमि के बदले अन्य भूमि भूमिहीन के तौर पर आवंटन करने के आदेश प्रदान किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि चक 650 आरडी के मुरब्बा नम्बर 233/53 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 13, 18 ता 20, 21/0.16, 22/0.16, 23/0.16, 24/0.16 की 18.04 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 233/26 के किला नम्बर 4, 5 की 2.00 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 1 ता 3, 6 ता 14, 15/0.10 की 12.10 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 2.00 बीघा कमाण्ड व 30.14 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को विकल्प में भूमि का आवंटन इस आधार पर किया गया कि उक्त भूमि रिकार्ड में रकबाराज दर्ज व निर्विवाद रूप से उपलब्ध है व इस आराजी हेतु अन्य किसी आवेदक का आवेदन लम्बित नहीं है। इसप्रकार रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर का आवंटन नियमों व प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना साबित है।

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि मिडियम पेच अथवा स्मालपेच आवंटन हेतु रिजर्व नहीं थी। चूंकि वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट को आवंटन बतौर भूमिहीन के तहत किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट को नोटिस जारी किया जाना अपरिहार्य नहीं था। प्रार्थी वर्ष 1976 से भूमि आवंटन हेतु घूम रहा है। अपीलांट का आराजी जैर से कोई सरोकार नहीं है केवल मात्र 500/– रूपये जमा कराये जाने से अपीलांट भूमि का पात्र नहीं माना जा सकता। चूंकि वादगत् भूमि भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को किया गया आवंटन सही व विधि अनुसार किया गया आवंटन है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरडी 2001 पेज 120 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (अ) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को पूर्व में आवेदित रकबा अन्य को आवंटित होने के कारण विकल्प में विवादित आराजी जैर चक 650 आरडी के मुरब्बा नम्बर 233/53 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 13, 18 ता 20, 21/0.16, 22/0.16, 23/0.16, 24/0.16 की 18.04 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 233/26 के किला नम्बर 4, 5 की 2.00 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 1 ता 3, 6 ता 14, 15/0.10 की 12.10 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 2.00 बीघा कमाण्ड व 30.14 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया है। कमाण्ड भूमि आवंटित की गई।

(ब) अदालत मातहत की पत्रावली व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु राजस्थान उपनिवेश्न नियमों के तहत राजकीय भूमि आवंटन नियम 1975 के नियम 14 (1) के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 06–09–2015 को प्रस्तुत किया जा चुका था। जिस पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षत अंकित है। उक्त आवंटन प्रार्थना के तहत अदालत मातहत द्वारा हल्का पटवारी से आवंटन पूर्व मौंके की वास्तविक स्थिति मय नजरी नक्शा रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु लिखा गया। उक्त रिपोर्ट पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट समीम के साथ–साथ अन्य चिपते काश्तकारों की वरियता निर्धारित की गई। उक्त वरियताक्रम में अपीलांट की वरियता प्रथम अंकित की गई है। अतः यह तथ्य स्वीकार योग्य है कि अपीलांट द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रस्तुत कर रखा था।

(स) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि आराजी जैर चक 234/5 की 25 बीघा भूमि आराजीराज दर्ज है एवं विशेष आवंटन गजट में प्रकाशित है। मौके पर रकबा खाली है। हमारा अभिमत है कि जब वादगत् भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित है तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन भूमिहीन श्रेणी में किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। अदालत हाजा द्वारा भूमिहीन श्रेणी की भूमि अन्यत्र उपलब्ध होने पर आवंटन की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था ना कि भूमिहीन श्रेणी के आवंटन की आड़ में विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित भूमि का आवंटन किया जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(द) अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया कि उक्त आराजी के आवंटन हेतु पूर्व में ही अपीलांट द्वारा मिडियम पेच में आवेदन प्रस्तुत कर रखा था। जबकि आराजी जैर के आवंटन हेतु अपीलांट का आवेदन लम्बित चल रहा था तो ऐसी स्थिति मे आराजी जैर के आवंटन से पूर्व अपीलांट को सुनवाई, सबूत व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना न्याय संगत है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अदालत हाजा के आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है।

(य) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को ऐसे मुरब्बे का आवंटन किया जाना चाहिए था जिसमें समस्त भूमि एक ही मुरब्बे में निहित होती। **अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आवंटन अयुक्तियुक्त रूप से मुरब्बें को तोड़ किया गया है, जो किसी भी स्थिति में तर्कसंगत आवंटन की परिभाषा में नहीं आता है।** अतः अदालत मातहत का आदेश काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता है।

7. अतः बिन्दु सिंह 6 के मद संख्या अ से य में वणिर्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–10–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को एक ही मुरब्बें में भूमिहीन श्रेणी की भूमि उपलब्ध होने पर आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर